मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2694

17.03.2025 को उत्तर के लिए

अपशिष्ट का वैज्ञानिक निपटान

2694. श्री नारायण तातू राणे :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों में खुले क्षेत्रों में कचरे के गैर-वैज्ञानिक निपटान से होने वाले वायु प्रदूषण के कारण मानव जाति पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो इलेक्ट्रॉनिक कचरे के वैज्ञानिक निपटान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ई-कचरे (इलेक्ट्रॉनिक कचरे) की बढ़ती मात्रा से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(घ) अवैध रूप से ई-कचरा ले जा रहे ट्रकों की संख्या का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा पकड़े गए व्यापारियों की संख्या कितनी है, जिनमें ई-कचरे के वैज्ञानिक निपटान के लिए लाइसेंस न रखने वाले व्यापारी भी शामिल हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ) अपनी उपयोग अवधि के बाद अपशिष्ट में बदल जाने वाले किसी भी उत्पाद का प्रबंधन पर्यावरण अनुकूल तरीके से किया जाए तो, वह स्वास्थ्य और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। हालाँकि, अगर अपशिष्ट उत्पाद से उपयोगी घटकों या सामग्री को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रसंस्करण हेतु अवैज्ञानिक और अपरिष्कृत तरीकों का उपयोग किया जाता है या यदि सामग्री का अवैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जाता है, तो इससे स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है और पर्यावरण को नुकसान हो सकता है।

मंत्रालय ने ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 को व्यापक रूप से संशोधित किया है और नवंबर, 2022 में ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 को अधिसूचित किया है तथा यह दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से लागू है। उक्त नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना है कि ई-अपशिष्ट का प्रबंधन इस रीति से किया जाए जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरण को ऐसे ई-अपशिष्ट से होने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचाया जा सके। इन नए नियमों का उद्देश्य पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल तरीके से ई-अपशिष्ट का प्रबंधन करना और ई-अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के लिए बेहतर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) व्यवस्था लागू करना है, जिसमें सभी विनिर्माताओं, उत्पादकों, नवीनीकरणकर्ताओं और पुनर्चक्रणकर्ताओं को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा तैयार पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। नए प्रावधान व्यापार करने हेतु अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक क्षेत्र को सुगमता और सुव्यवस्था प्रदान करेंगे और पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल तरीके से ई-अपशिष्ट का पुनर्चक्रण सुनिश्चित करेंगे। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति तथा

सत्यापन एवं संपरीक्षा के प्रावधान भी शुरू किए गए हैं। ये नियम ई.पी.आर. व्यवस्था और ई-अपशिष्ट के वैज्ञानिक पुनर्चक्रण/निपटान के माध्यम से चक्रीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देते हैं।

सीपीसीबी ने ई-अपशिष्ट नियमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(i) सीपीसीबी द्वारा एक ऑनलाइन ई-अपशिष्ट ईपीआर पोर्टल विकसित किया गया है, जिसमें ई-अपशिष्ट के उत्पादकों, विनिर्माताओं, पुनर्चक्रणकर्त्ताओं और नवीनीकरणकर्ताओं जैसी संस्थाओं को पंजीकृत होना अपेक्षित है।

(ii) सीपीसीबी ने ई-अपशिष्ट के वैज्ञानिक और पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल तरीके से ई-अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के लिए आवश्यक मशीनरी और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के संदर्भ में प्रक्रियाओं और सुविधाओं का विवरण दिया गया है।

(iii) ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना तैयार है और इसे सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) द्वारा अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। एसपीसीबी/पीसीसी तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। इस कार्य योजना में अनौपचारिक ई-अपशिष्ट कार्यकलापों की जाँच के लिए कार्य बिंदु नियत हैं और एसपीसीबी/पीसीसी के लिए अनौपचारिक ई-अपशिष्ट कार्यकलापों की जाँच के लिए नियमित अभियान चलाना अनिवार्य है।

(iv) ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के नियम 10 (1) के अंतर्गत राज्य सरकार को मौजूदा और आगामी औद्योगिक पार्क, सम्पदा और औद्योगिक समूहों में ई-अपशिष्ट के विघटन और पुनर्चक्रण के लिए औद्योगिक स्थान या शेड का चिह्नांकन या आवंटन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

(v) सीपीसीबी ने ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एसपीसीबी/पीसीसी को निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए :

क) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1) (ख) तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत अनौपचारिक ई-अपशिष्ट कार्यकलापों की जांच, ई-अपशिष्ट के प्राधिकृत विघटनकर्ताओं/पुनर्चक्रणकर्ताओं का सत्यापन तथा जन जागरूकता अभियान के संबंध में दिनांक 06.09.2022 को निर्देश जारी किए गए।

ख) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत ऑनलाइन ई-अपशिष्ट ईपीआर पोर्टल पर उत्पादकों, विनिर्माताओं, पुनर्चक्रणकर्ताओं तथा नवीनीकरणकर्ताओं के पंजीकरण के संबंध में दिनांक 30.01.2024 को निर्देश जारी किए गए।

ग) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उत्पादकों के ईपीआर दायित्वों की पूर्ति के संबंध में ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रणकर्ताओं द्वारा ईपीआर प्रमाणपत्रों का सृजन सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 14.02.2024 को निर्देश जारी किए गए।

इसके अलावा, सीपीसीबी ने एसपीसीबी/पीसीसी को अनौपचारिक क्षेत्र में ई-अपशिष्ट प्रसंस्करण की जांच के लिए समय-समय पर नियमित अभियान चलाने की सलाह दी है। संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा ऐसे अभियान चलाने के लिए दलों का गठन, नोटिस जारी करना, परिचालन बंद करना, अनौपचारिक प्रसंस्करण के विरुद्ध ई-अपशिष्ट जब्त करना जैसी कार्रवाई की जाती है।

*****